

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा
एस0ए0आर0 वाच सं0 53/2009-10

जोसेफ तिर्की
बनाम
परादीश टोप्पो

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख																										
1	2	3																										
3.3.22	<p>प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक जोसेफ तिर्की, पिता- स्व0 सिमोन उरॉव, ग्राम- पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी परादीश टोप्पो, पिता- स्व0 जोहन टोप्पो, ग्राम- हाथी बाड़ी थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ने अवैध तरीके कब्जा किया गया है। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1968 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। वाद संख्या- 53/2009-10 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-</p> <table border="1" data-bbox="319 840 1356 1061"> <thead> <tr> <th colspan="6">भूमि विवरण:-</th> </tr> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता न0</th> <th>प्लॉट न0</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">पुरनापानी</td> <td rowspan="3">सिमडेगा</td> <td></td> <td>164</td> <td>563</td> <td>0.15 ए0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>165</td> <td>595</td> <td>0.13 ए0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>594</td> <td>0.32 ए0</td> </tr> </tbody> </table> <p>वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 1331(ii)/रा0, दिनांक 30.10.2011, 1136(ii)/रा0, दिनांक 22.11.2012, 974(ii)/रा0, दिनांक 20.07.2016, द्वारा उपयुक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जो कि अप्राप्त है।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 26.11.2009 से लेकर 15.04.2017 तक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त एवं उभय पक्ष अनुपस्थित एवं व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं रखी गई। दिनांक 04.10.2017 से लेकर 20.09.2021 तक पीठासीन पदाधिकारी अधिसूचित नहीं रहने के कारण अपील की सुनवाई नहीं की गई एवं उभय पक्ष की और से अधिवक्ता की कोई पैरवी नहीं पड़ी और न ही उभय पक्ष सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद संख्या- 53/2009-10 को संचिकास्त किया जाता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को अनुमण्डल कार्यालय के न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा।</p>	भूमि विवरण:-						मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा	पुरनापानी	सिमडेगा		164	563	0.15 ए0		165	595	0.13 ए0			594	0.32 ए0	
भूमि विवरण:-																												
मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा																							
पुरनापानी	सिमडेगा		164	563	0.15 ए0																							
			165	595	0.13 ए0																							
				594	0.32 ए0																							

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा

एस0ए0आर0 वाद अभिलेख संख्या 53/2009-10

1. वादी का नाम - जोसेफ़ तिरुई
2. प्रतिवादी का नाम - पयदीथ टोप्पा (दीपक टोप्पा)
3. वादी के अधिवक्ता का नाम - जैकी अहमद
मोबाईल नं०

4. प्रतिवादी की अधिवक्ता का नाम - रामेश्वर माडु
मोबाईल नं०

5. ग्राम - हाचीकारी पंचायत -
अंचल - कुड्डेग जिला - सिमडेगा

6. वाद से संबंधित भूमि का विवरण -
थाना नं० ग्राम खाता नं० लॉट नं० रकबा

थाना नं०	ग्राम	खाता नं०	लॉट नं०	रकबा
		164	563	0.15
		165	595	0.13
			594	0.04
				0.32 एकड़

7. अंचल प्रतिवेदन - प्राप्त/अप्राप्त

8. कब्जा का वर्ष

क). खेती ख.) मकान ग.) कुआँ घ.) अन्य

9. प्रथम पक्ष (i) नोटिस तामिला -

(ii) उपस्थिति -

10. द्वितीय पक्ष (i) नोटिस तामिला -

(ii) उपस्थिति -

11. प्रथम पक्ष मन्तव्य - रात्रिकी पट्टा, 563 दिनांक 15-06-81 की स्वयंकीर्णता
दिनांक 22-10 0.13 एकड़ पर ही देखलकार है परतीत्रा 19/1981-82
पत्रांक 626 दिनांक 3-4-81 द्वारा मूल्यांकन कर
124/227 89-90 है मालगुजारी कर रकम
12. द्वितीय पक्ष मन्तव्य - ONT का उल्लेख नहीं किया है


अभिलेख उपस्थापन विवरणी

क्र०सं०	तिथि	अभियुक्ति
	28-09-10	

आदेश- पत्रक
द्वेष नियम 129 अभिलेख हस्तक

आदेश पत्रक - ता. 0. से तक
जिला- सिमडेगा, संख्या. S.A.R. 53/2009 मसू 2005

कैश का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम परादिना लक्ष्मी

आदेश की क्र. सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	को गई कार्रवाई																		
23/10/09	<p>श्री. आसिफ तिका</p> <p>पिता. सुभा सिमान उर्फ</p> <p>साकिन पुरनापानी थाना. सिमडेगा</p> <p>जिला- सिमडेगा ने आदेश पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी श्री. परादिना लक्ष्मी (दीपक लक्ष्मी)</p> <p>पिता सं. जोए लक्ष्मी</p> <p>साकिन. खाना वारी थाना. कुरैका</p> <p>जिला- सिमडेगा. ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अन्तर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।</p> <table border="1" data-bbox="403 1411 1075 1590"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>वाटा नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">पुरनापानी</td> <td>164</td> <td>563</td> <td>0.65 से 0.15</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>595</td> <td>0.35 से 0.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td>594</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.32 से</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 16/11/09 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अनुभण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा। </p>	ग्राम	वाटा नं०	प्लॉट नं०	रकबा	पुरनापानी	164	563	0.65 से 0.15	165	595	0.35 से 0.13		594	0.04				0.32 से	7.6.2014
ग्राम	वाटा नं०	प्लॉट नं०	रकबा																	
पुरनापानी	164	563	0.65 से 0.15																	
	165	595	0.35 से 0.13																	
		594	0.04																	
			0.32 से																	